राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायतीं राज)

क्रमांकः एफ.37( )पराविं/प्र.2/क.लि.सीधी भर्ती–13/मार्गदर्शन/हनु.बारां.कोटा.गंगा./17/ 3174 जयपुर, दिनांकः 1/8/17

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद–समस्त।

विषयः एन.आर.एच.एम. एवं सर्व शिक्षा अभियान के तहत अनुबन्ध/प्लेसमेंट एजेन्सी के माध्यम से कार्य कर चुके अभ्यर्थियों को बोनस अंक देने बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि इस विभाग के पूर्व परिपत्र क्रमांक 2158 दिनांक 30.05.2017 द्वारा एन.आर.एच.एम. एवं सर्व शिक्षा अभियान के तहत अनुभव का लाभ 02–10–2010 से 18–04–2013 तक देय होना निर्धारित किया गया। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने रिट पिटीशन संख्या 8707/2017 में दिनांक 21.05.2017 को निर्णय पारित किया कि पंचायती राज के नियंत्रणाधीन स्थानान्तरित 5 विभागों के समस्त दायित्व पंचायती राज को दिये जा चुके हैं। माननीय न्यायालय के निर्णय का मुख्य अंश इस प्रकार है –

"There is fallacy in the arguments advanced by Shri Anirudhh Mathur. National Rural Health Mission was taken over by Panchayati Raj Department under the orders passed by the Government for better administrative control. The entire scheme was taken over by the Department with all bag and baggage. Therefore, all assets and liabilities of the scheme were also transferred to Rural Development and Panchayati Raj Department. Therefore, the experience gained earlier by the employee in National Rural Health Mission is to be counted for awarding bonus marks.

Consequently, the Block Medical Officer concerned is directed to issue experience certificate in favour of the petitioners from the day they joined National Rural Health Mission till 18-04-2013, i.e. the cut off date prescribed in the advertisement. The said certificate so issued after verification of record, shall be duly countersigned by the Chief Executive Officer of the concerned Zila Parishad. Needful shall be done by the respondents within seven days from receipt of certified copy of the order."

अतः राज्य स्तर पर निर्णय लिया गया है कि उक्त योजनाओं के किसी भी पात्र अभ्यर्थी को अनुभव का लाभ उसके द्वारा की गई पूर्ण कार्यावधि के लिए अधिकतम अंक तक देय होगा।

कार्य अनुभव की गणना की अंतिम तिथि 18.04.2013 यथावत रहेगी। बोनस अंकों का लाभ इससे पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक 2071 दिनांक 26.05.2017 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही देय होगा।

(नवीन महाजन)
शासन सचिव एवं आयुक्त

D:\ACJS_N\Letters A2.docx

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज।
4. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
5. शासन उप सचिव(विधि), पंचायती राज विभाग।
6. रक्षित पत्रावली।

प्रोग्रामर, अपलोड हेतु।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

D:\ACJS_N\Letters A2.docx